



2026:AHC:22641

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 2694 / 2026

दिलीप कुमार पाण्डेय

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याची के अधिवक्ता : देवांश मिश्रा, विनय कुमार सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडेया

1. कुछ तर्कों के पश्चात, याची के अधिवक्ता ने अपनी प्रार्थना को केवल प्रार्थना संख्या 2 तक सीमित रखा, जो इस प्रकार है:-

"(ii) एक रिट, आदेश या निर्देश परमादेश की प्रकृति में जारी किया जाए जिसके माध्यम से प्रतिवादी संख्या 2, नायब तहसीलदार, सदर, गोरखपुर, जनपद गोरखपुर को निर्देशित किया जाए कि वह उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 34 के अंतर्गत कंप्यूटरीकृत वाद संख्या T2017053135031785 (शीर्षक: 'ब्रह्म ज्ञान सिंह मजीठिया (मृतक) बनाम सरैया शुगर मिल्स') में याची द्वारा दायर प्रारंभिक आपत्तियों दिनांक 22.12.2025 एवं 17.12.2025 (रिट याचिका का संलग्नक-4) का निस्तारण करें;"

2. रिट याचिका पर विचार किया गया और राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता को दिनांक 23 जनवरी, 2026 के आदेश द्वारा अनुदेश प्राप्त करने हेतु समय दिया गया था।

3. श्री सुधांशु पाण्डेय, विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से उपस्थित हुए और तर्क दिया कि लगभग समान राहत के लिए प्रतिवादी संख्या 3-रोहिणी मजीठिया ने पूर्व में इस न्यायालय के समक्ष रिट सी संख्या 38989 / 2025 दाखिल की थी, जिसे इस न्यायालय ने दिनांक 2 दिसंबर, 2025 के निर्णय और आदेश द्वारा अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया था। उक्त निर्णय द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को मामले का निस्तारण शीघ्रता से और अधिमानतः तीन माह की अवधि के भीतर करने का निर्देश दिया गया था। दिनांक 02.12.2025 का आदेश इस प्रकार है:-

"याची के विद्वान अधिवक्ता श्री यश पाण्डेय श्री कौशलेंद्र प्रताप सिंह की ओर से तथा राज्य-प्रतिवादीगण की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आनंद भास्कर श्रीवास्तव को सुना गया। वर्तमान याचिका

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



प्रतिवादी संख्या 2, नायब तहसीलदार, तहसील सदर, जनपद गोरखपुर को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 35 के अंतर्गत वाद संख्या आरएसटी/1785/2017 (सरदार ब्रह्म ज्ञान सिंह मजीठिया बनाम सरेया शुगर फैक्ट्री) को एक निर्धारित समय अवधि के भीतर निस्तारित करने हेतु निर्देशित करने की प्रार्थना के साथ दाखिल की गई है। राज्य-प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने सूचित किया कि पिछले आदेश दिनांक 17.11.2025 के अनुपालन में प्रतिवादी संख्या 2 से प्राप्त अनुदेश दिनांक 22.11.2025 के अनुसार, मामले में अगली तिथि 26.11.2025 नियत है और इसके शीघ्र निस्तारण के प्रयास किए जाएंगे। उपरोक्त के दृष्टिगत, वर्तमान याचिका इस टिप्पणी के साथ निस्तारित की जाती है कि संबंधित न्यायालय/प्राधिकारी अपने समक्ष लंबित मामले की कार्यवाही को, बिना किसी पक्षकार को अनावश्यक स्थगन दिए, अधिमानतः तीन माह की अवधि के भीतर संपन्न करने का प्रयास करेंगे, यदि कोई अन्य कानूनी बाधा न हो।"

4. याची के अधिवक्ता द्वारा सूचित किया गया कि उक्त मामले में निर्णय दिनांक 12.01.2026 को सुरक्षित रखा जा चुका है।

5. यह तथ्य इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रतिवादी संख्या 2-नायब तहसीलदार, सदर, गोरखपुर के हस्ताक्षरित अनुदेश दिनांक 02.02.2026 के परिशीलन से भी स्पष्ट है।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेखों का परिशीलन किया गया।

7. ऊपर वर्णित तथ्यों के आलोक में, चूँकि उपरोक्त वाद में निर्णय पहले ही सुरक्षित रखा जा चुका है, अतः प्रार्थना संख्या 2 के संबंध में कोई और आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है।

8. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रतिवादी संख्या 2 उपरोक्त मामले में शीघ्रता से निर्णय सुनाएंगे।

9. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, वर्तमान रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

2 फरवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"